Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियन्ता व तकनीकी सहायक (लाइनमैन) 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अजमेर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को नागौर में कार्यवाही करते हुये गिरधारी लाल व्यास सहायक अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, रियांबड़ी एवं जितेन्द्र मीणा तकनीकी सहायक (लाइनमैन) कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, आलनियावास, जिला नागौर को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्षन हेतु सामान इश्यू करने की एवज में गिरधारी लाल व्यास सहायक अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, रियांबड़ी नागौर द्वारा जितेन्द्र मीणा तकनीकी सहायक (लाइनमैन) कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, आलनियावास, जिला नागौर के माध्यम से 7 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री छोटिया राम मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली हाल तकनीकी सहायक (लाइनमैन) कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, आलनियावास, जिला नागौर को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में गिरधारी लाल व्यास पुत्र श्री श्याम लाल व्यास निवासी सिसोदिया गार्डन कॉलोनी, हरिभाउ उपाध्याय नगर–मुख्य, कोटड़ा अजमेर हाल सहायक अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल, रियांबड़ी जिला नागौर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।